

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग / जोन-बीकानेर / एसीपी / 229 / 2023 / 435

दिनांक:- 8/09/2023

—: आदेश :-

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 20 (1) एफ.डी. (ग्रुप-2) 92 दिनांक 25.01.1992 एवं एफ.14 (1) एफ डी(नियम)/2013-11 दिनांक 28.06.2013 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिन्होंने 09,18,27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से निम्नानुसार चयनित वेतनमान / एसीपी स्वीकृत कि जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	एसीपी देय तिथी व पूर्ण सेवा अवधि	देय पे बेन्ड/ वर्तमान में प्राप्त पे मैट्रिक्स लेवल	देय पे ग्रेड/ देय पे मैट्रिक्स लेवल
1.	श्रीमती सुनिता देवी	चूरु	03.03.2009	03.03.2018 09 वर्ष	लेबल-08	लेबल-10
2.	संतोष जांगिड	चूरु	20.05.1998	20.05.2019 18 वर्ष	लेबल-10	लेबल-11
3.	मंजू दूल	चूरु	15.02.2005	15.02.2023 18 वर्ष	लेबल-10	लेबल-11
4.	रीतु	चूरु	15.02.2005	15.02.2023 18 वर्ष	लेबल-10	लेबल-11
5.	शंकुन्तला देवी	चूरु	13.04.1994	13.04.2021 27 वर्ष	लेबल-11	लेबल-12
6.	किरण	चूरु	09.09.2011	09.09.2020 09 वर्ष	लेबल-08	लेबल-10
7.	श्रीमती सुनिता	चूरु	29.09.2011	29.09.2020 09 वर्ष	लेबल-08	लेबल-10
8.	विनोद कुमारी	चूरु	09.11.1994	09.11.2021 27 वर्ष	लेबल-11	लेबल-12
9.	सुनैना	हनुमानगढ	13.09.2011	13.09.2020 09 वर्ष	लेबल-08	लेबल-10
10.	ममता	चूरु	15.02.2005	15.02.2023 18 वर्ष	लेबल-10	लेबल-11
11.	राजवीर कौर	हनुमानगढ	19.02.2005	19.02.2023 18 वर्ष	लेबल-10	लेबल-11
12.	हरप्रीत कौर	हनुमानगढ	19.02.2005	19.02.2023 18 वर्ष	लेबल-10	लेबल-11
13.	सुलोचना देवी सारसवा	हनुमानगढ	19.02.2005	19.02.2023 18 वर्ष	लेबल-10	लेबल-11
14.	रघुबीर कौर	हनुमानगढ	22.02.2005	22.02.2023 18 वर्ष	लेबल-10	लेबल-11
15.	माया देवी	श्रीगंगानगर	21.02.2005	21.02.2023 18 वर्ष	लेबल-10	लेबल-11
16.	राजबाला	हनुमानगढ	02.03.2009	02.03.2018 09 वर्ष	लेबल-08	लेबल-10
17.	बबीता	श्रीगंगानगर	14.09.2011	14.09.2020 09 वर्ष	लेबल-08	लेबल-10

नोट:- 1. उक्त कार्मिकाओं के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी सन्तान हुई है, तो नियमानुसार यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:—नर्सिंग / जोन—बीकानेर / एसीपी / 229 / 2023 / 435

दिनांक:— 8/9/2023

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन—बीकानेर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ, रतनगढ चूरु, श्रीगंगानगर।
3. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
4. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर